न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 210/2023 निर्णय दिनांकः—06-12-2024
(जीसीएमएस संख्या 2023/292)

1. मोहनलाल पुत्र सुखराम जाति बिश्नोई निवासी गौडू हाल चक 9 एमआरएम तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 19—03—2014
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ मुकाम बज्जू

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 28—01—1997 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र किश्तों के अभाव में एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् को तहसील कोलायत में चक 9 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 10/44 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 13, 15, 16, 19 ता 25 की कुल तादादी 20.05 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन दिनांक 11–08–2008 को आंवटित की गई थी। अपीलांट् द्वारा भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के पश्चात आंवटन अधिकारी द्वारा आवेदित भूमि का कब्जा प्रदान कर दिया गया था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटित भूमि की शेष किश्तें जमा नहीं करवाने के अभाव में अपीलांट् का विशेष आवंटन खारिज कर दिया गया।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने आवेदित रकबे की 35 प्रतिशत राशि जमा करवा दी थी और भूमि की शेष राशि भी जमा करवाने हेतू तैयार है। आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–03–2014 के विरूद्व अपील दिनांक 04–10–2023 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आंवटित भूमि की किश्तें जमा नहीं करवाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–03–2014 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 04–10–2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 33 सी डब्ल्यू बी के मुरब्बा नम्बर 147/1 के किला नम्बर 1 ता 14, 17 ता 24 की तादादी 22 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। जो आंवटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट् को आवंटित की गई थी।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटित रकबे की शेष/बकाया राशि जमा करवाने हेतु ना तो कोई नोटिस जारी किया गया तथा ना ही उक्त राशि जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

(4) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट् को बकाया राशि जमा करवाने हेतु कोई नोटिस जारी किये जाने के दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना प्राप्त हुई हो।

(5) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा चक 9 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 10/44 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 13, 15, 16, 19 ता 25 की कुल तादादी 20.05 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन आंवटित की गई थी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा बतौर सबूत प्रस्तुत जमाबंदी सवंत् 2073–2076 के अनुसार उक्त रकबा आज दिनांक को अराजीराज दर्ज है व अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:—

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

वादगत् भूमि प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073—2076 के अनुसार आज दिनांक को भी आराजीराज है तथा अन्य किसी को आवंटित भूमि नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त नजीर मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—03—2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं की गई हो तो ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रार्थना पत्र नियमानुसार उसकी आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06-12-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर